

88

वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब के खातेदार
अतः वादी का वाद हिकी किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जा
करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया देवे जो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल
वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को
राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने के अधिकारी है।

इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिस
हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है।
प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी को बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है
संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।
जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी

दादा चुनी वन्द विमाना के देहान्त होने के बाद विरस्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है
वाद भूमि जा प्रतिवादी संख्या 1 जा वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के
पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

श्री वादी के दादा चुनी वन्द विमाना के देहान्त होने पर वाद विरस्तन से वाद भूमि उनके
उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा चुनी वन्द विमाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज
संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

126हैच 10मि0 खाला कुल 5:5660हैच भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी
2530, 40न0 0 मि0न0 117 के किला न0 48 / 0.051 हैक मि0मि0 खाला किला न0 45 की 0.
304 / 395(83) के किला न0 1 / 227, 2 / 228, 9 / 0.253, 10 / 2530, 11 / 0.2530, 12 /
.14 / 0.253, 15 / 0.228 40न0 304 / 394(62) किला न0 21 / 2530, 22 / 2530, 40न0
किला न0 3 / 0.253, 4 / 253, 5 / 0.253, 6 / 0.228, 7 / 0.253, 8 / 0.253, 13 / 253
न0 16 / 0.228, 17 / 0.253, 23 / 0.253, 24 / 0.253, 25 / 0.228, 40न0 303 / 395(64) के
की रही मौजा तक 5 आरपीएम के खाला संख्या 79 / 44 के 40न0 303 / 394(61) के किला
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आर्य का पेश किया गया
सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जोहरी अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक :- 19/03/2020
परिकर राज
उपस्थित : श्री रामकृष्णर बैनीवाल अधिवक्ता वादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
प्रतिवादीगण

1. नरहराम पुत्र चुन्नीराम जाति नायक निवासी थक 6 आरपीएम - जसना तहसील
नाहर जिला हनुमानगढ
2. कृष्ण कुमार पुत्र नरहराम जाति नायक निवासी थक 6 आरपीएम - जसना
तहसील नाहर जिला हनुमानगढ
3. भवरीदेवी 4. मनोहरी 5. सन्तरीदेवी पुत्रीयान नरहराम जाति नायक निवासी थक 6
आरपीएम - जसना तहसील नाहर जिला हनुमानगढ
6. राजस्थान सरकार जाति तहसीलदार राजस्व नाहर जिला हनुमानगढ।

बनाम

वादी

1. चैतराम पुत्र नरहराम जाति नायक निवासी थक 6 आरपीएम - जसना तहसील
नाहर जिला हनुमानगढ।

अनवान :-

वाद सं0 : 655 सन 2019

पीठस्थान अधिकारी का नाम : सश्री शबला कौशर (आर0पी0एम0)

न्यायालय तहसील कलक्ट एवं उपस्थितिकारी (राजस्व) नाहर

काइलकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। बादी का बाद लिखी फरमाया जावे।

बादी का बाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिये सम्मन ललब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर बादी के बाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 में निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज मुँसि उसके पिता वृन्नी वन्द विमाना के देहान्त होने पर किया की उसके नाम से दर्ज मुँसि उसके पिता वृन्नी वन्द विमाना के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है ता किस्सी प्रकार का प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद मुँसि बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये बाद मुँसि बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साथ में बादी में अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तदुत्थानत उभयपक्षा की बहस सुनी गई। वकील बादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने बाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की यही मौजा एक 5 आशीरुम के खाला संख्या 79/44 के पठान 303/394(61) के किल्ला नं 16/0.228, 17/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.228, 303/394(64) के किल्ला नं 3/0.258, 4/0.253, 5/0.253, 6/0.228, 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/0.228, 16/0.228, 17/0.228, 18/0.228, 19/0.253, 20/0.253, 21/0.253, 22/0.253, 23/0.253, 24/0.253, 25/0.228, 26/0.228, 27/0.228, 28/0.228, 29/0.253, 30/0.253, 31/0.253, 32/0.253, 33/0.253, 34/0.253, 35/0.253, 36/0.253, 37/0.253, 38/0.253, 39/0.253, 40/0.253, 41/0.253, 42/0.253, 43/0.051 हैक शीमू खाला किल्ला नं 45 की 0.126 हैक शीमू खाला कुल 55660 हैक मुँसि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। उक्त मुँसि पूर्व में बादी के दादा वृन्नी वन्द विमाना के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी बादी के दादा वृन्नी वन्द विमाना के देहान्त होने पर बाद विरस्तन में बाद मुँसि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

बाद मुँसि जा प्रतिवादी संख्या 1 जा बादी के पिता है के नाम से दर्ज है बादी के दादा वृन्नी वन्द विमाना के देहान्त होने के बाद विरस्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण प्रक सम्पत्ति है जिसमें बादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हैक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बादी की बहन है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 में अपने हैक हिस्सा की मुँसि का त्याग बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये बाद मुँसि बादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हैक हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। बादी के बाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात बादी के बाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है बादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दखान आर.बी.जे. 1998 पृज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पृज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कारतकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः बादी का बाद लिखी फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकांशी (राजस्थान)
नाहर (हनुमानगढ़)

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इंजलम में से कम की जाकर बाद तस्वीर तकमिल जाबा दाखिल दफतर हो।

करने। इसी आशय की पर्चा लिखी जायी जाकर शान्ति मिलान की गई पत्रावली नम्बर बाद रहनमुक्त राजस्थान रिपोर्ट में अंकन किया जावे अथ बाद उपयुक्त अपना अपने वहन सलान 5000/- - क स्टम्प तकमिलन शान्ति किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो किया जाता है इसी अनुसार राजस्थान रिपोर्ट में अंकन करने हेतु इंजलय प्रार्थना पत्र के से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीना बहिब के खतदार काशतकार धारित की कुल 55660 हैव भूमि वतमान राजस्थान रिपोर्ट में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किया जाकर धारणा की जाती है कि वादी मौजा तक 5 आरपीएम के खाला संख्या 79/44 साक्ष्य सवृती एवं न्यायाधिक दस्तावेज के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण लिखी करने एवं प्रकार राज को लिखी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत अतः वादी के वादी की प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार न्यायवित है।

किये जाने के कारण राजस्थान रिपोर्ट की सुरक्षा के मन्बनरर स्टम्प ज्युटी कायम की जाती होने के कारण काबिल लिखी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हकों का त्याग सवृत एवं न्यायाधिक दस्तावेजों पर प्रकरण पर चर्चा होने के आधार पर बाद वादी साबित वादी के बाद को प्रतिवादीनाम के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शान्ति मिलान किया जा चुका है।

व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्वीर किया जाकर लिखे उनके नाम से राजस्थान रिपोर्ट में दर्ज की जाती है जो लिखी प्रकार का ऐतराज नहीं है किया जा चुका है इसलिये बाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 स्वयं वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 जो वादी की बहन है ने अपने हक संख्या 1 ता 5 बहिब के हकदार है।

में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा देना। अर्थात् बाद भूमि में वादी व प्रतिवादी की धारा 6, 8 के अनुसार पूर्वक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति के नाम से दर्ज होने के कारण पूर्वक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्थान रिपोर्ट में दर्ज हुई है विवरतन से भूमि वादी के पिता के दादा युन्गी वन्द विमना के देहान्त होने के बाद विवरतन से बाद भूमि वादी के पिता दर्ज थी अर्थात् बाद भूमि पूर्व में वादी के दादा युन्गी वन्द विमना के नाम से दर्ज है वादी पर्चा खतीनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार बाद भूमि युन्गी वन्द विमना के नाम से वर्तमान राजस्थान रिपोर्ट में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

अनुसार यही मौजा तक 5 आरपीएम के खाला संख्या 79/44 की कुल 55660 हैव भूमि हन उपयुक्ती की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिपोर्ट के निरारण फरमावे।

प्रकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पूर्वक सम्पत्ति का बाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सवृती के आधार पर राजस्थान रिपोर्ट हुए बाद को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की गई।

पदाधिकारी आज दिनांक 19/3/2020 को मंडल कार्यालय एवं कार्यालय मुदा से जारी अपना अपना वहन करेगा।

बैंक के रहन ही तो बाह्य रहनमूलक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे अथवा बाह्य उभयपक्ष इंजराय प्राधान्य पत्र के संलग्न 5000/- के स्टाम्प तकनीकन शामिल किया जावे। यदि मूंसि खातेदार काइतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 तो 2 तीनों बहिष के के खाला संख्या 79/44 की कुल 5.5660 हेक् मूंसि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता कारण वाद वादी हिकी किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा तक 5 आरपीएम पर वाद वादी साइस सर्जो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के अतिवक्त वादी एवं प्रोकार राज की उपस्थिति में अतिम निपटरे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने आज यह वाद मुदा खाला कोबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष राजस्व वाद संख्या 655 धन 2019 निर्णय दिनांक-19/03/2020

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काइतकारी अधिनियम 1955

1

प्रतिवादीगण

- 1 नरहराम पुत्र वृन्नीराम जाति नायक निवासी तक 6 आरपीएम - जसना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
- 2 कृष्ण कुमार पुत्र नरहराम जाति नायक निवासी तक 6 आरपीएम - जसना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
- 3 मन्दीरवी 4. मन्दीरवी 5. सन्दीरवी पुत्रीयान नरहराम जाति नायक निवासी तक 6 आरपीएम - जसना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
- 6 राजस्थान सरकार जाति तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. वीरराम पुत्र नरहराम जाति नायक निवासी तक 6 आरपीएम - जसना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

अनगण :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

(आर् 20, कल 6-7 जाला दिवानी)

पदाधिकारी